



श्री 24/2/79  
28/9/79

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग 1-खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 सितम्बर, 1979

भाद्रपद 23, 1901 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2407/सबह-बि०-1-66-79

लखनऊ, 14 सितम्बर, 1979

अधिसूचना  
निम्न

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 13 सितम्बर, 1979 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1979)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अप्रति संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसरे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 1979 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 24 सन्  
1953 की धारा 5  
का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 5 में,—

(1) उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

“(ii) सुरक्षित क्षेत्र में कार्यशील गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों के पांच प्रतिनिधि जो ऐसी समितियों की प्रबन्ध समिती के सदस्यों द्वारा ऐसी समितियों के सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपलब्ध हों तो ऐसे प्रतिनिधियों में से दो, निम्न वर्ग के होंगे ;

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद “निम्न वर्ग” का तात्पर्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों से है और इसके अन्तर्गत ऐसे कृषक भी हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त कृषि भूमि है और जिनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि से या ऐसी भूमि पर शारीरिक श्रम से या दोनों से होने वाली आय है ;”

(ख) खण्ड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

“(vi) बीच उत्पादन अधिकारी ;” ;

(2) उपधारा (3-क) में, शब्द “अपने में से एक व्यक्ति को जो सरकारी सबका न हो” के स्थान पर शब्द “उपधारा (3) के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट पांच प्रतिनिधियों में से एक व्यक्ति को” रख दिये जायेंगे ;

(3) उपधारा (4) में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायगा ।

ब्राज्जा से,

मिश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव ।

No. 2407(2)/XVII-V-1-66-1979

Dated Lucknow, September 14, 1979

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Kharid Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 1979) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 13, 1979 :

**THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (AMENDMENT) ACT, 1979**

[U. P. ACT NO. 30 OF 1979]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 1979.

Amendment of  
section 5 of U.P.  
Act no. 24 of  
1953.

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953,—

(1) in sub-section (3)—

(a) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(ii) five representatives of the Cane Growers Co-operative Societies functioning in the reserved area, to be elected by the members of the Committees of Management of such Societies from amongst the members of such societies :

Provided that, subject to availability, two of such representatives shall be from the weaker sections ;

Explanation—For the purposes of this clause the expression ‘weaker sections’ means the persons belonging to the Scheduled

Castes and Scheduled Tribes and includes farmers who hold unirrigated agricultural land not exceeding two hectares and whose principal source of livelihood is income from agricultural land or by manual labour on such land or from both;";

(b) for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely :—

"(vi) the Seed Production Officer;";

(2) in sub-section (3-A), for the words "from among themselves a person, not being a Government servant," the words "from among the five representatives referred to in clause (ii) of sub-section (3) a person" shall be substituted ;

(3) in sub-section (4), the second proviso shall be omitted.

By order,  
R. C. DEO SHARMA,  
Sachiv.